राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
77वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 वित्तीय समावेषन	(1) वित्तीय समावेषन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) 2019-2024 (a) Universal Acess to Financial Services (b) Business Correspondent and Capacity Building (c) Providing Basic Bouquet of Financial Services (d) Acess to Livelihood and Skill Development (e) Centre for Financial Literacy (2) PMJDY – Social Security Schemes आधार लिंकेज (3) Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its Management
एजेण्डा संख्या – 2	(क) वार्षिक ऋण योजना 2020–21 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि (ख) वार्षिक ऋण योजना 2021–22 (ग) ऋण जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या – 3	सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं हेतु वार्षिक लक्ष्य
एजेण्डा संख्या – 4	प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना
एजेण्डा संख्या – 5	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 6	सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं – प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 7	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना
एजेण्डा संख्या – 8	(क) योजनावार एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.)
एजेण्डा संख्या – 9	(क) एम.एस.एम.ई. – उद्यम रजिस्ट्रेषन (ख) ईमररजेन्सी क्रेडिट लाईन गारंटी योजना (GECL–1.0/GECL–2.0/GECL–3.0/GECL–4.0) (ग) Restructuring of Accounts
एजेण्डा संख्या – 10	बागेष्वर एवं चम्पावत जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की षाखाओं के कार्य समय में परिवर्तन
एजेण्डा संख्या – 11	अटल पेंषन योजना (APY)
एजेण्डा संख्या – 12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
77वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2021 की कार्य सूची (एजेण्डा)

76वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 76वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2021 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के मार्च त्रैमास की निम्नाकित उप–समितियों की बैठकों का आयोजन कोविड–19 महामारी के कारण नही किया जा सका :

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति
2. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति
3. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति

Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 08 जुलाई, 2021 को आयोजित की गयी तथा Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2021 को आयोजित की गयी।

एजेण्डा संख्या – 1 :

(1) National Strategy for Financial Inclusion (NSFI): 2019-2024 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेषन के लिए राष्ट्रीय नीति (NSFI) 2019–2024, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की गयी है, जिसका उद्देष्य वित्तीय समावेषन प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समरुपता लाना है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी Stakeholders का योगदान होगा।

उपरोक्त नीति के अंतर्गत मुख्य Objectives / Milestones निम्न प्रकार से है :

a) Universal Access to Financial Services :

पांच कि.मी. रेडियस की उचित दूरी के अन्तर्गत गांव में एक औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता हो, ताकि ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवायें प्राप्त हो सके। राज्य के समस्त गांव वित्तीय सेवा से संतृप्त हैं, अतः जन–धन दर्षक ऐप में उत्तराखण्ड में कोई भी गांव असंतृप्त नही दिखाया जा रहा है।

राज्य में कार्यरत बैंक की षाखाओं एवं ए.टी.एम. की संख्या निम्नवत है :

बैंक	शाखाओं की संख्या			ए.टी.एम. की संख्या		
	As on 31.03.20	As on 31.03.21	Increase /Decrease	As on 31.03.20	As on 31.03.21	Increase / Decrease
सरकारी बैंक	1466	1452	-14	2128	2140	+12
ग्रामीण बैंक	287	287	...	....	02	+02
सहकारी बैंक	289	289	...	81	101	+20
निजी बैंक	301	345	+44	464	537	+73
स्माल फाईनेन्स बैंक	23	28	+05	08	12	+04
योग	**2366**	**2401**	**+35**	**2681**	**2792**	**+111**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में षाखाओं की संख्या में 35 तथा ए.टी.एम. की संख्या में 111 की वृद्वि हुयी है, जिसमें निजी बैंकों की 44 षाखायें तथा 73 ए.टी.एम. षामिल हैं।

सरकारी बैंक की षाखाओं एवं ए.टी.एम. की संख्या में कमी का मुख्य कारण कुछ बैंकों का आपस में बिलय (Merger) होना है।

b) Business Correspondent and Capacity Building :

Business Correspondent विषयक प्रगति निम्नवत है :

	Total No. of B.C..	Active B.C.	In-Active B.C.	No. of B.C. completed B.C. Certification Course	No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course
As on 31/03/2021	2624	2252	372	1316	1308
As on 31/03/2020	2417	---	---	987	1430

- एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देषित किया गया कि वे In-Active बी.सी. को Active करायें, अन्यथा उनके स्थान पर नये बी.सी. नियुक्त करें।

c) Providing basic bouquet of financial services –

प्रत्येक वयस्क, जो इच्छुक और योग्य है, को वित्तीय सेवाओं का एक बुनियादी समूह बैंकों द्वारा प्रदान करना होगा, जिसमें बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, रुपया डेविट कार्ड, क्रेडिट, माइक्रो लाईफ और गैर–जीवन बीमा उत्पाद, पेंषन उत्पाद और उपयुक्त निवेष उत्पाद षामिल हाने चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

योजना	आच्छादित खातों की संख्या		
	As on 31.03.2020	**As on 31.03.2021**	**Increase**
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	16,77,754	20,43,505	3,65,751
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	4,35,773	4,59,346	23,573
अटल पेंषन योजना	2,06,556	2,81,786	75,230
कुल पी.एम.जे.डी.वाई खाता संख्या	26,97,781	28,59,104	1,61,323

दिनांक 31.03.2021 को **28,59,104** पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में **1,53,885** खाते षून्य षेष खाते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे षून्य षेष खाताधारकों को जागरुक करें तथा उनसे इन खातों में धनराषी जमा करवायें एवं खाताधारक यदि DBT का लाभ लेना चाहता है, तो उनके खातो में आधार लिंकज करवायें।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक E. no.H-12011/2/2015-Ins. II/I दिनांक 14 जून, 2021 के अनुसार PMSBY / PMJJBY. योजना अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों, जिनके खाते में दिनांक 31 मई, 2021 को पर्याप्त षेष नही है, को 30 दिन का Grace Period दिया गया है, अतः वे अपनी बीमा पॉलिसी का 30 जून, 2021 तक नवीनीकरण कर सकते हैं।

Aspirational District Programme for Haridwar & Uddham Singh Nagar Districts
Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) :

नीति आयोग द्वारा राज्य में हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले को F.I. हेतु Aspirational District के तौर पर चिन्हित किया गया है। Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) के अन्तर्गत हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिले द्वारा KPI (Key Performance Indicator) में निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

जिला हरिद्वार की प्रगति 31 मार्च, 2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	24,52,917	1,84,732	5,72,855	54,558
Actual No. of Accounts as on 31.03.2021	24,51,840	77,188	3,77,509	55,774
Remaining No. of Accounts to be opened by 30/09/21	**1,077**	**1,07,544**	**1,95,346**	**-----**

जिला उधम सिंह नगर की प्रगति 31 मार्च, 2021 तक निम्नवत है :

Benchmark for Aspirational Districts	Operative Bank accounts (CASA)	PMJJBY enrollments	PMSBY enrollments	APY beneficiaries
Total No. of Accounts to be opened for achieving benchmark	21,39,533	1,61,131	4,99,667	47,587
Actual No. of Accounts as on 31.03.2021	22,87,061	1,08,817	4,86,654	52,686
Remaining No. of Accounts to be opened by 30/09/21	**----**	**52,314**	**13,013**	**----**

(उक्त डाटा नीति आयोग के Champions of Change Portal से लिये गये हैं।)

अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला हरिद्वार एवं उद्यम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में माहवार लक्ष्य प्राप्त नही हो सके।

राज्य में कोरोना महामारी की धीमी गति के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन द्वारा जारी दिषानिर्देषानुसार एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक A.O./SLBC/51 दिनांक 15 जून, 2021 के माध्यम से समस्त बैंक नियत्रकों को समस्त कार्यो में प्रगति हेतु निर्देषित कर दिया गया है।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दोनो जिलों को माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर DLIC तथा राज्य स्तर पर SLIC करेगी।

- TFIIP within ADP हेतु SLIC कमेटी का गठन राज्य में किया जा चुका है। SLIC कमेटी की बैठक दिनांक 19 मार्च, 2021 को आयोजित की गयी थी।
- बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देषित किया गया था कि वे एफ.एल.सी. कैम्प में वित्तीय साक्षरता विषयक जागरुक करने के साथ –साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवष्यकता की जानकारी से भी अवगत करायें।

d) <u>Access to Livelihood and Skill Development</u> –

वित्तीय प्रणाली में षामिल नए सदस्य, यदि वे पात्र हैं और किसी आजीविका/कौषल विकास कार्यक्रम को अपनाना चाह रहे हैं, तो उन्हे वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जाय, ताकि उन्हे अपने कौषल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में षामिल होने एवं आय सृजन को सुधारने में मदद मिल सके।

इस विषयक कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा एक पुस्तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो कि अभी प्रतीक्षारत है।

(e). Scaling up of Centre for Financial Literacy (CFL) Project in the State of Uttarakhand

One of the milestones of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI: 2019-2024) is to expand the reach of CFLs to every block in the country. Accordingly, it has been decided to scale up the outreach of CFLs to every block in the country, in a phased manner with one CFL serving three blocks.

As part of the scaled up CFL Project under the first phase in our State, a total of 16 blocks have been identified to set up the CFLs, covering all 13 districts present in the State of Uttarakhand. In our State, three sponsor banks namely SBI, PNB and Bank of Baroda have been given responsibility to set up the CFLs in coordination with CRISIL Foundation (implementing NGO) which have been identified for setting up these CFLs across the State.

In this regard, SLBC, Uttarakhand is coordinating / communicating with NGO (CRISIL Foundation) on regular basis in order to to set up CFLs at the 16 identified blocks within the mandated timelines.

In this regard, presently, as informed by the NGO (CRISIL Foundation) to SLBC, Uttarakhand vide mail dated May 30, 2021, the work is under process, as some key proposals of the proposed strategic Action Plan submitted by the concerned NGO to FIDD, CO on March 19, 2021 were not accepted by them regarding implementation of CFL project in the State, therefore the process of signing MoUs by the NGO with respective sponsor banks for setting up of CFLs at the identified blocks in the State is still not initiated by the concerned NGO in the State.

We request State Government to provide land for construction of building for Centre for Financial Literacy at identified Blocks.

Position of existing FLC Center :-

District	Address of FLC	Sponsor Bank	Position Vaccant
US Nagar	Sector-5, SIDCUL	BOB	Yes
US Nagar	UGB Rudrapur	UGB	Yes
Dehradun	Vikas Nagar	PNB	Yes

In 09 Districts where SBI is the Lead Bank, the respective LDMs of Districts are looking after FLCs.

2. PMJDY – Social Security Schemes :

आधार लिंकेज :

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

		As on 31.03.2020	As on 31.03.2021	Increase
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गये कुल खातों की संख्या	26,97,781	28,59,104	1,61,323
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में आधार सीडिंग की संख्या	20,22,852	22,23,822	2,00,970
कवरेज प्रतिषत		74.98	77.78	2.80

(उक्त डाटा F.I. Plan Portal से लिये गये हैं।)

- अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे वित्तीय साक्षरता हेतु आयोजित कैम्पों में ग्राहकों को खाते में आधार लिंकेज से होने वाली सुविधाओं से अवगत करायें।
- बैंक, डी.बी.टी. का लाभ लेने वाले ग्राहकों के खाते आधार कार्ड से खोलें तथा खातों को आधार से लिंकेज करें।

3. Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :

29 बैंकों द्वारा पुष्टि प्रेषित की गयी है, कि उनके द्वारा Standardized System (Block wise mapping) तैयार कर लिया गया है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की अनुवर्ती कार्यवाही के बावजूद भी निम्नवत षष 03 बैंकों द्वारा Standardized System (Block wise mapping) प्रगतिषील है, जो कि 30 जून, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

1. **कोटक महेन्द्रा बैंक**
2. **एक्सेस बैंक**
3. **राज्य सहकारी बैंक**

राज्य में कार्यरत 6 बैंकों **(इण्डियन बैंक, नैनीताल बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक एवं प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक)** द्वारा मार्च, 2021 त्रैमास का डाटा RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारुप SLBC India Portal पर अपलोड नही किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त बैंकों को समय–समय पर अवगत कराया जा रहा है कि वे उक्त कार्य को अतिषीघ्र पूर्ण करें।

एजेण्डा संख्या – 2 :

(क) वाषिक ऋण योजना 2020–21 एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

(राशि करोड़ में)

मद	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020			दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6806.40	4920.14	72	7951.63	4097.57	52
सावधि ऋण	3578.65	3173.42	89	5270.68	2395.91	45
फार्म सेक्टर (कुल योग)	**10385.05**	**8093.56**	**78**	**13222.32**	**6493.07**	**49**
नॉन फार्म सेक्टर (MSME)	**8031.49**	**8372.50**	**104**	**8850.51**	**8623.97**	**97**
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3594.74	1827.50	51	3721.07	1176.54	32
कुल योग	**22011.28**	**18293.56**	**83**	**25793.90**	**16293.58**	**63**

- वार्षिक ऋण योजना 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **रु. 25793.90 करोड** के सापेक्ष मार्च, 2021 त्रैमास तक बैंकों द्वारा **रु. 16293.58 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **63 प्रतिशत** है।
- बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर एम.एस.एम.ई हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु. **8850.51 करोड** के सापेक्ष रु. **8623.97 करोड** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि लक्ष्य का **97%** है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में जी.ई.सी.एल., पी.एम.ई.जी.पी. एवं एम.एस.वाई. योजना का मुख्य योगदान है।
- फार्म सेक्टर एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित बजट के अनुरुप लक्ष्य प्राप्त नही हुआ है।

(ख) वार्षिक ऋण योजना 2021–22 :

राज्य के समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक ऋण योजना को भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा समीक्षा उपरांत क्षेत्रवार / सेक्टरवार लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत है :

(Amt. in Cr.)

Target	**Crop Loan**	**Term Loan (Including Agr. Infrastructure & Ancillary Activities)**	**Farm Sector**	**Non Farm Sector**	**Other Priority Sector**	**Total Priority Sector**
	A	B	(A+B) = C	D	E	(C+D+E) = F
ACP 2021-22	7181	5118	12299	10454	3859	26611
ACP 2020-21	7952	5271	13222	8851	3721	25794
Difference	**-771**	**-153**	**-993**	**1603**	**138**	**817**

(ग) ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर राज्य का ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) 53 **%** है।

(Amt. in Cr.)

Sr.	**COMPONENTS**	**AS ON 31/03/20**	**AS ON 31/03/21**
1	Advances from Banks (Within State)	62397.00	66466.00
2	Advances from Banks (utilized in the state but sanctioned from outside the State)	10501.00	10758.00
3	RIDF (Balace Outstanding at the end of Qtr. Dec 2020)	7393.00	7920.00
4	Total Advance (1+2+3)	80291.00	85143.00
5	Total Deposits	141234.00	159856.00
Credit Deposit Ratio in Uttarakhand as on 31 March, 2021		**57%**	**53%**

वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर जिलेवार ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) निम्नवत है :

(Amt. in Crores)

Sr.	District	No. of Branches	Total Deposit	Total Advances	C.D. Ratio
1	**Dehradun**	**596**	**64178**	**24215**	**38**
2	Uttarkashi	66	2578	1123	44
3	Hardwar	287	22416	16875	75
4	**Tehri**	**136**	**5845**	**1820**	**31**
5	**Pauri**	**194**	**10038**	**2458**	**24**
6	Chamoli	98	3847	2731	71
7	**Rudra Prayag**	**56**	**2195**	**545**	**25**
A	**Total Garhwal Mandal**	**1433**	**111096**	**49766**	**45**
8	**Almora**	**146**	**6185**	**1459**	**24**
9	**Bageshwar**	**52**	**2002**	**520**	**26**
10	Pithoragarh	107	4840	2026	42
11	**Champawat**	**62**	**2506**	**732**	**29**
12	Nainital	258	17553	7352	42
13	U S Nagar	328	15674	15370	98
B	**Total Kumaon Mandal**	**953**	**48760**	**27458**	**56**
C	**Total (A+B)**	**2386**	**159856**	**77224**	**48**
RIDF				**7920**	
Grand Total			**159856**	**85143**	**53**

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा अग्रिम जिला प्रबन्धकों को निर्देषित किया गया है कि वे जिला स्तर पर आयोजित DLRC/DCC की बैठक में कम ऋण जमा अनुपात पर चर्चा करें तथा इसे बढ़ाने की योजनाओं पर कार्य करें।

देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं चम्पावत का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। अतः इन जिलों में ऋण जमा अनुपात की निगरानी हेतु DCC की विषेष उप–समिति की बैठक नियमित रुप से आयोजित की जाय तथा Monitorable Action Plan एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को भी प्रेषित किया जाय।

एजेण्डा संख्या – 3 : सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं हेतु वार्षिक लक्ष्य :

सरकार प्रायोजित ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वष 2021–22 हेतु संबंधित विभाग द्वारा निम्नानुसार लक्ष्य प्रेषित किये गये हैं, जो कि सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं :

क्र.	मद	वार्षिक लक्ष्य 2021–22	
1	एन.आर.एल.एम. (NRLM)	इकाईयों की संख्या	10000
2	राष्ट्रीय षहरी आजीविका मिषन (NULM)	इकाईयों की संख्या SEP (I) SEP (G) SHG Bank Linkage	 1000 17 125
3	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (VCSGSY)	वाहन गैर वाहन कुल योग	147 153 300
4	दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे)	लाभार्थियों की संख्या	500
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	मार्जिन मनी लक्ष्य इकाईयों की संख्या	रु. 39.77 करोड 1326
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)	लाभार्थियों की संख्या	2000
6	स्पेषल कम्पोनेन्ट प्लान (SCP)	अनुसूचित जाति (SC) **अनुसूचित जनजाति (ST)** अल्पसंख्यक (Minority)	लाभार्थियों की संख्या : 1463 **विभाग से लक्ष्य प्राप्त नही हुये हैं।** लाभार्थियों की संख्या : 150
7	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)	इकाईयों की संख्या	3000
8	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	इकाईयों की संख्या	337000

सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं हेतु प्राप्त उपरोक्त लक्ष्य सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। उपरोक्त लक्ष्यों को अग्रणी बैंक कार्यालयों के स्तर से सभी बैंकों को आवंटित कर दिये गये है।

एजेण्डा संख्या – 4 :

प्रधानमंत्री फेरी व्यवसायियों हेतु आत्मनिर्भर निधि योजना :

वित्तीय वष 2020–21 की समाप्ति पर आत्मनिर्भर निधि योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

No. of Applications uploaded in portal	Market Place Application	No. of Applications Picked by Banks	No. of Applications Sanctioned	No. of Applications Disbursed	Applications Returned / Rejected / Withdrawn	% Achievement Disbursed VS Total Application – Reject Applications
16048	66	1804	9848	8873	4330	76

- पी.एम. स्वनिधि योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा Interest Subvention 31 मार्च, 2022 तक दिया जायेगा।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अन्तर्गत पी.एम. स्वनिधि पोर्टल के अनुसार ऋणियों के खातों में रु. 3 लाख Interest Subvention दर्षाया गया है।
- पी.एम. स्वनिधि योजना अन्तर्गत पी.एम. स्वनिधि पोर्टल में डिजीटल लेनदेन करने पर ऋणियों को रु. 8,800.00 का कैष बैक दर्षाया गया है।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पी.एम. स्वनिधि योजना अतर्गत राज्य का लक्ष्य बढ़ाकर 26000 इकाई कर दिया गया है। अतः यू.एल.बी. / टी.वी.सी. से आग्रह है कि वे पर्याप्त संख्या में वैन्डर्स को रजिस्ट्रेषन सर्टिफिकेट / LOR उपलब्ध कराकर, आवेदन पी.एम. स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड करें।
- उत्तराखण्ड षासन द्वारा जारी अधिसूचना/आदेष संख्या 2021/XXVII(9) /यू0ओ0–09/स्टाम्प/2020 दिनांक 21 मई, 2021 के अनुसार पी.एम. स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों/वैन्डरों को स्वीकृत किये जाने वाले रु. 10,000.00 तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित विलेख पर स्टाम्प डयूटी समाप्त कर दी गयी है।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के वापस लौटाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं :

- आवेदक का सिबिल स्कोर खराब होना ।
- जिस बैंक षाखा में आवेदक का ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, उस षाखा में आवेदक का बैंक खाता न होना।
- आवेदक का ऋण लेने हेतु इच्छुक ना होना।
- बैंकों द्वारा प्रेषित अनुस्मारक के उपरान्त भी आवेदक द्वारा ऋण सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण ना करना।

यू.एल.बी. से आग्रह है कि ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करते समय उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें तथा आवेदक को अवगत करायें कि उनका ऋण आवेदन पत्र अमुख बैंक की अमुख'षाखा को प्रेषित किया गया है।

बैंक षाखाओं से अनुरोध है कि वे सर्वप्रथम आवेदक का सिबिल स्कोर जांच लें तथा तदउपरांत ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करें।

एजेण्डा संख्या – 5 :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रगति निम्नवत है :

progress	Applications Sent to Banks	Under process by Bank	Reverted by Bank	Rejected by Bank	Loan Sanctioned by Bank	Loan Disbursed by Bank	Pending
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
As on 31/03/21	9259	172	1438	3252	3866	3155	703

- 2974 ऋण खातों में जिला उद्योग केन्द्र से रु. 24.11 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सीडी क्लेम की गयी थी, जिसमें से मात्र 1812 ऋण खातों में रु. 15.43 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सीडी ही बैंकों को प्राप्त हुयी है।
- 1162 ऋण खातों में जिला उद्योग केन्द्र से रु. 8.68 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सीडी क्लेम की राषी प्राप्त होनी अवषेष है।
- जिला उद्योग केन्द्र से आग्रह है कि वे षेष मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा बैंकों को अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लम्बित योग्य आवेदकों के ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत करें।
- बैंक षाखाओं से अनुरोध है कि वे सर्व प्रथम आवेदक का सिबिल स्कोर जांच लें तथा तदउपरांत ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करें।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिलेवार प्रगति निम्नवत है :

Progress as on 31/03/2021 **(Rs. In Cr.)**

Sr.	District	Target	Application	Sanctioned		Disbursed		Margin Money Claimed		Margin Money Disbursed	
		No.	No.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	Almora	250	679	295	9.48	218	5.34	216	1.56	72	0.56
2	Bageshwar	200	552	282	7.50	220	4.83	217	1.58	151	1.14
3	Champawat	250	612	346	10.59	291	7.79	280	2.35	162	1.27
4	Chamoli	250	712	276	10.17	270	10.03	268	2.65	179	1.81
5	Dehradun	200	658	248	12.54	243	8.72	232	1.68	179	1.34
6	Haridwar	200	660	242	5.91	201	3.51	123	0.47	20	0.08
7	Nainital	250	737	298	13.52	270	6.87	229	1.83	113	0.94
8	Pauri	250	912	374	14.41	288	10.95	287	2.77	233	2.33
9	Pithoragarh	250	630	285	9.39	268	7.39	266	2.27	187	1.65
10	Rudraprayag	200	467	246	8.61	231	7.44	226	1.98	130	1.31
11	Tehri	250	682	269	8.07	159	5.25	149	1.08	71	0.49
12	US Nagar	200	685	254	11.23	214	6.56	207	1.58	141	1.05
13	Uttarkashi	250	1273	451	13.31	282	8.22	274	2.32	174	1.45
	Total	**3000**	**9259**	**3866**	**134.74**	**3155**	**92.90**	**2974**	**24.11**	**1812**	**15.43**

(Data Source : MSY Portal)

3000 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति के लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा 3866 ऋणियों को रु. 134.74 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि वे स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का तुरन्त निस्तारण करें तथा ऋण वितरण में आने वाली समस्याओं क निराकरण हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करें। ईडीपी प्रषिक्षण हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र में ईडीपी प्रषिक्षण का आयोजन ऑफलाइन करवायें।

समस्त बैंक योजना अंतर्गत प्रथम किस्त निर्गत करने के उपरांत पोर्टल में मार्जिन मनी सब्सिडी lodge करें तथा आवेदक को ऑनलाईन / ऑफलाईन ईडीपी प्रशिक्षण लेने हेतु अवगत करायें।

बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण आवेदन पत्रों के वापस लौटाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं :

- आवेदक का सिबिल स्कोर खराब होना ।
- आवेदक का पूर्व में ही रोजगार में होना।
- बैंक षाखा में आवेदक का बैंक खाता न होना।
- आवेदक का ऋण लेने हेतु इच्छुक ना होना।
- आवेदक का ऋण प्रस्ताव viable ना पाया जाना।
- बैंकों के अनुस्मारक के उपरान्त भी आवेदक द्वारा ऋण सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण ना करना।
- आवेदक का बैंक, सेवा क्षेत्र में न होना।

एजेण्डा संख्या – 6 :

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाए :

योजना		Annexure	वित्तीय वर्ष 2019–20			वित्तीय वर्ष 2020–21		
			वषिक लक्ष्य	स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रगति प्रतिशत	वषिक लक्ष्य	स्वीकृत आवेदन पत्र	प्रगति प्रतिशत
NULM		**Annex. – 5**	1000	797	**80**	772	1084	**140**
NRLM		**Annex. -6**	7610	8089	**106**	9740	9644	**99**
VCSGSY	Vehicle	**Annex. -7**	147	123	**84**	147	137	**93**
	Non Vehicle		153	35	**23**	153	60	**39**
	Total		300	158	**53**	300	197	**66**
Home Stay		**Annex. -8**	---	101	**---**	---	128	**---**
PMAY	Bank	**Annex.-9**	3000	1728	**58**	---	1664	---
	NHB		---	6121	**---**	---	2594	---
	Hudco		---	168	**---**	---	475	---
	Total		3000	8017	**267**	3000	4733	**158**
MUDRA	Shishu	**Annex. -10**	---	137426	**---**	---	120818	---
	Kishore		---	49372	**---**	---	57624	---
	Tarun		---	12147	**---**	---	12619	---
	Total		---	198945	**---**	---	191061	---
SCP	SC	**Annex. -11**	1463	1082	**74**	732	774	**106**
	ST		100	96	**96**	100	70	**70**
	Minority		225	92	**41**	177	78	**44**
	Total		1788	1270	**71**	1009	922	**91**
Stand up India	Women	**Annex. -12**	1099	304	**28**	1130	294	**26**
	SC/ST		1099	202	**18**	1130	115	**10**
	Total		2198	506	**23**	2260	409	**18**
PMEGP		**Annex. -13**	1318	1840	**140**	1326	2627	**198**
			Margin Money Target : Rs. 39.77 Cr. **Achievement** Rs. 34.00 Cr. **(85%)**			**Margin Money Target** : Rs. 39.77 Cr. **Achievement** Rs. 45.19 Cr**. (114%)**		

- राज्य सरकार प्रायोजित ऋण योजना अन्तर्गत एन.यू.एल.एम., पी.एम.ई.जी.पी., पी.एम.ए.वाई., एस.सी.पी. (एस.सी.) योजना में बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

- पर्यटन विभाग द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना एवं होम स्टे के पोर्टल में समस्त ऋण आवेदन पत्र दर्ज न होने के कारण एस.एल.बी.सी. एवं बैंक नियंत्रकों द्वारा अनुवर्ती (follow up) कार्यवाही नही की जा सकी, जिस कारण लक्ष्य प्राप्त नही हो सके।
- एस.एल.बी.सी, उत्तराखण्ड द्वारा विभागों से आग्रह किया गया है कि वे विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों को पोर्टल में दर्ज कर षाखाओं को प्रेषित करें, जिससे कि बैंक नियंत्रक एवं एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड योजना अंतर्गत प्रगति हेतु अनुवर्ती (follow up) कार्यवाही कर सकें।

एजेण्डा संख्या – 7 :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना :

- राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मौसम खरीफ 2020 एवं रबी 2020–21 से तीन वर्ष हेतु लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल खरीफ मौसम में धान तथा मण्डुआ एवं रबी मौसम में गेहूं तथा मसूर बीमा के लिए षामिल हैं।
- पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल खरीफ मौसम में आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च, फ्रेंचबीन्स तथा रबी मौसम में सेब, आम, लीची, आड., माल्टा, संतरा, आलू, मटर एवं टमाटर की फसल बीमा के लिए षामिल हैं।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड षासन स्तर पर राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में षासनदेष के पश्चात योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में फसल बीमा की प्रगति निम्नवत है :

(रु. लाख में)

Scheme	Season	Farmer Insured	Sum Insured	Farmer Premium
PMFBY	Kharif 2020	33654	10428.71	208.57
PMFBY	Rabi 2020	14817	5693.77	89.26
Total PMFBY		**48471**	**16122.48**	**297.83**
RWBCIS	Kharif 2020	51426	24942.13	1247.11
RWBCIS	Rabi 2020	8670	6799.12	339.96
Total RWBCIS		**60096**	**31741.25**	**1587.07**
Grand Total		**108567**	**47863.73**	**1884.90**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषकों को वितरित क्लेम का विवरण निम्नवत है :

(रु. लाख में)

Scheme	Farmers Covered	Farmers Premium	Claims Paid	Benefitted Farmers
PMFBY Rabi 2019-20	52701	354.52	606.32	9122
RWBCIS Rabi 2019-20	21703	849.44	4701.59	20516
PMFBY Kharif 2020	49128	220.65	52.70	5468
Total Claim Paid	**123532**	**1424.61**	**5360.61**	**35106**

एजेण्डा संख्या – 8 :

(क) योजनावार एन.पी.ए. :

(Amt. in Crores)

NPA POSITION OF GOVT. SPONSORED SCHEME as on 31st MARCH, 2021						
S. No.	NAME OF SCHEME	Total Outstanding		Gross NPA		Gross NPA%
		No.	Amount	No.	Amount	
1	PMEGP	7150	250-71	1006	19.77	**7.89**
2	SCP	5333	53.14	571	4.30	**8.11**
3	VCSGSY	2539	174.70	471	25.27	**14.46**
4	NULM	2566	44.80	320	3.18	**7.09**
5	**SJSRY (Swarn Jayanti Sahari Rojgar Yojna)	1060	3.96	503	2.27	**57.36**
6	NRLM	11086	53.16	701	2.81	**5.28**
7	**SGSY (Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojna)	1180	8.08	698	4.41	**54.56**
8	DRI	4993	5.53	1397	1.55	**28.08**
	Mudra - Shishu	88467	200.21	8719	23.59	**11.78**
	Mudra - Kishore	106525	1565.95	12692	187.76	**11.99**
	Mudra - Tarun	154423	1712.32	1858	108.90	**6.36**
9	Mudra	349415	3478.48	23269	320.25	**9.21**
10	DEDS – NABARD (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)	8082	87.23	2361	28.64	**32.84**
11	Stand Up India	1545	231.36	130	20.37	**8.80**
1	MSME	324826	16706.89	62711	1682.81	**10.07**
2	Agriculture	870686	11063.00	83272	1302.85	**11.77**

** उक्त योजनायें बन्द हो गयी हैं।

- बैंकों में एन.पी.ए. की स्थिति चिन्ताजनक है, अतः बैंक स्थानीय स्तर पर प्रषासन से समन्वय स्थापित करते हुये बैंक के एन.पी.ए. कम करने का प्रयास करें। बैंक तहसील से आर.सी. का मिलान करें तथा ज्यादा वसूली करने के लिए अमीनों का सहयोग प्राप्त करें।
- एन.पी.ए. खातों की तहसील में आर.सी. फाईल करें और अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिष्चित कर।
- बकायादारों से वसूली के लिए एक मुष्त समाधान (OTS) योजना / बैंक अदालत / लोक अदालत का उपयोग भी किया जाय तथा इसकी जानकारी बकायादारों को दी जाय, जिससे एन.पी.ए. को कम किया जा सक। वित्तीय साक्षरता कैम्प में ग्राहकों को अपना ऋण तय समय सीमा में चुकाने के लिए जागरुक किया जाय, जिससे उनका सिबिल स्कोर ठीक रहे।
- एन.पी.ए. खातों में यदि सम्पाष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) उपलब्ध है, तो बैंक ऋण वसूली की प्रक्रिया हेतु 13 (2) और 13 (4) के तहत कार्यवाही करें।

राज्य में बैंकवार (सर्वजनिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों) एवं खण्डवार एन.पी.ए. निम्नवत है :

(Amt. in Crores)

Bank	NPA POSITION AS ON 31.03.2021												Total Advances		% of NPA To Total advances
	C&I		Agri.		MSE		MEDIUM ENTERPRISE		Per.		Total NPA				
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	
Public Sector Banks	1742	29.61	52443	889.64	16929	917.33	4270	246.78	9927	313.40	85311	2396.76	915327	41233.07	5.8
Regional Rural Banks	0	0	9114	81.62	4609	82.17	0	0	1191	39.09	14914	202.88	111967	2606.39	7.7
Private Sector Banks	500	18.32	11184	241.21	18164	158.66	3421	150.72	2623	83.23	35892	652.15	648593	15743.04	4.1
Co-operative Banks	6650	58.44	10531	90.38	7590	47.23	7728	79.93	20114	249.75	52613	525.73	428225	6883.23	7.6
Total	**8892**	**106.37**	**83272**	**1302.85**	**47292**	**1205.39**	**15419**	**477.43**	**33855**	**685.47**	**188730**	**3777.52**	**2104112**	**66465.73**	**5.6**
NPA %		2.81		34.49		31.91		12.63		18.15					

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य में बैंकों का एन.पी.ए. **5.68 प्रतिशत** हैं।

राज्य के प्रमुख बैंकों के SMA खातों का विवरण निम्नवत है :

As on 31.03.2021 **(Rs. In Cr.)**

Name of Bank	SMA - 2		NPA		Advances	NPA %
	No. of A/Cs	Amt.	No. of A/Cs	Amt.		
S.B.I.	33641	754.12	21014	460.76	13112.52	3.51
P.N.B.	13516	919.12	35547	912.35	13826.10	6.60
B.O.B	1001	77.92	4705	224.36	4567.75	4.91
U.B.I.	1055	62.29	6171	242.70	2508.91	9.67
Canara Bank	2395	149.59	5554	130.24	2057.41	6.33
I.O.B	1556	55.03	852	46.91	790.69	5.93
B.O.I	2513	62.72	4096	62.58	1085.00	5.77
U.G.B.	23011	214.43	14851	202.53	2596.31	7.80
Total	**78688**	**2295.22**	**92790**	**2282.43**	**10544.69**	**6.31**

- SMA - 2 खाते एन.पी.ए. में परिवर्तित न हो, इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित Resolution Framework-2 में योग्य खातों का Restructuring करें ।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा MSME ऋणों के लिए घोषित GECL–1.0/GECL–2.0/GECL–3.0/GECL–4.0 योजनाओं का लाभ ऋणियों को प्रदान करें।
- लम्बित आर.सी. की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर वसूली बढ़ायें।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (आर.सी.) :

(Amt. in Crores)

RCs Pending								Total RCs Pending	
Less than 1 Year		1 Year to 3 Years		3 Year to 5 Years		More than 5 Years			
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
7104	108.53	10850	178.70	4684	55.20	3900	42.95	26538	385.38

- समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक राजस्व विभाग से समन्वय कर लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली में बैंको का सहयोग करें।
- **एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड ने समस्त** अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देषित किया है कि वे डी.एल.आर. सी. बैठक में लम्बित रिकवरी सर्टिफिकेट (आर.सी.) अन्तर्गत वसूली पर भी चर्चा करें।

एजेण्डा संख्या – 9 :

(क) एम.एस.एम.ई. :

31 मार्च, 2021 तक योजनांतर्गत इकाईयों को वितरित ऋणों की सेक्टरवार outstanding निम्नवत है :

(कुल प्रदत्त राषि करोड़ में)

प्रगति	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
31.03.21	1626.31	4295.49	2439.46	6443.24	900.10	1002.29	4965.87	11741.02	16706.89
31.03.20	1472.43	3978.58	2208.65	5967.87	485.73	561.78	4166.81	10508.23	14675.04

- सूक्ष्म इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 35.44% (Investment < 1 Cr. & Turnover < 5 Cr.)
- लधु इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 53.16% (Investment < 10 Cr. & Turnover < 50 Cr.)
- मध्यम इकाई / कुल एम.एस.एम.ई. 11.38% (Investment < 20 Cr. & Turnover < 100 Cr.)

उद्यम रजिस्ट्रेशन :

दिनांक 30 मार्च, 2021 को आयोजित एस.एल.बी.सी. की 76वीं बैठक में उद्योग विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य में कुल 67726 एम.एस.एम.ई. इकाईयां कार्यरत हैं, जिनका रजिस्ट्रेषन उद्यम रजिस्ट्रेषन पोर्टल में फाईल किये जाने की प्रक्रिया प्रगतिषील है।

व्यवसायों को पंजीकरण के आधार नम्बर के अलावा कोई दस्तावेज या प्रमाण देने की आवष्यकता नही है। MSMEs को एक स्थायी पंजीकरण संख्या और पंजीकरण के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र में एक क्यू आर कोड होता है, जिससे उद्यम के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सकता है। उद्यमी ज्ञापन–द्वितीय (EM-II) या उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM) पंजीकरण वाले व्यवसायों को खुद को फिर से पंजीकृत करने की समय सीमा 31 दिसम्बर, 2021 कर दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेषन की प्रक्रिया सरल कर दी गयी है, अतः अब उद्यमी PAN एवं Aadhar Card से ही उद्यम रजिस्ट्रेषन करा पायेंगे।

उद्यमी को उद्यम रजिस्ट्रेषन से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :

- एम.एस.एम.ई. में रजिस्ट्रेषन होना।
- राज्य में लागू कानून के अनुसार Octroi & Tax में छूट प्राप्त कर सकते है।
- स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेषन फीस माफी के लिए क्लम कर सकते है।
- ओवरड्राफ्ट पर 1 प्रतिषत ब्याज छूट प्राप्त होगी।
- NSIC से सब्सिडी तथा क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर सकता है तथा IPS सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने खुदरा ओर थोक व्यापार को भी एम.एस.एम.ई. का दर्जा दिया है और उन्हे उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेषन करने की अनुमति दी गयी है।

पूर्व में खुदरा एवं थोक व्यापार गतिविधियों को एम.एस.एम.ई. के रुप में वर्गीकृत किया गया था, किन्तु सन 2017 में उन्हे एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में षामिल नही किया गया था।
संषोधित दिषानिर्देषो के तहत खुदरा और थोक व्यापार को भी आर.बी.आई. के दिषानिर्देषों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने का लाभ मिलेगा।

(ख) ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

उक्त योजना रु. 3 लाख करोड़ ऋण स्वीकृत होने तक जारी रहेगी अथवा 31 दिसम्बर, 2021 तक, दोनो में से जो भी पूर्व में हो। अभी तक उक्त योजना अंतर्गत रु. 2.75 लाख करोड़ स्वीकृत किये जा चुके हैं।
वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में और रु. 1.5 लाख करोड का आवंटन किया है।

GECL - 1.0 :-

योजना में निम्नवत बदलाव किया गया है :–

	Earlier	**Now**
Scheme Validity	June 30th, 2021	September 30th, 2021
Additional Credit	Additional credit up to 20% of outstanding as on Feb 29th, 2020	Additional credit assistance of up to 10% of outstanding as on Feb 29th, 2020. (with respect to restructuring as per RBI guidelines)
Repayment	**For all borrowers**	**For borrowers who are elegible for restructuring as per RBI guidelines – May 05, 2021**
	Overall tenure of 4 years (comprising repayment of interest only during first year and interest and principal in 3 years thereafter)	Overall tenure of 5 years (comprising repayment of interest only during first 2 year and interest and principal in 3 years thereafter)

Guaranteed Emergency Credit Line (GECL) के अंतर्गत राज्य की योग्य इकाइयों से संबंधित प्रगति :

Progress as on 31/03/2021, O/S (FB+NFB) upto Rs. 50 Crores :

(Rs. In Crores)

	Eligible loan A/Cs		**No. of A/Cs whom information sent**	**No. of Accounts**		**Amount**		**Coverage %**
	No. of A/Cs	**Amt.**		**Cum. Sanctioned**	**Cum. Disbursement**	**Cum. Sanctioned**	**Cum. Disbursement**	
Upto Rs. 25 Crores	99112	2478.77	99112	67359	41485	1716.92	1484.34	67.96
Above Rs. 25 to 50 Crores	504	187.28	504	56	54	142.30	81.53	11.11

एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया है कि पात्र ऋणियों से सम्पर्क करें तथा योजना के अंतर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

GECL – 2.0 :-

- वर्तमान में ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में रु. 50 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की outstanding (As on 29/02/20) वाली इकाइयां भी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगी। Annual Turnover की सीमा निर्धारित नही की गयी है।

उक्त विषय में बैंकों द्वारा योग्य खाताधारकों से वार्तालाप करने पर उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया है कि ऋण की आवष्यकता पड़ने पर ही, उनके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त किया जायेगा।

GECL – 3.0 :-

	Earlier	Now
Entities / Sector eligible	Hospitality, Travel & Tourism, Leisure & Sporting sectors	Civil aviation sector also made eligible
Scheme validity	June 30th, 2021	September 30th, 2021
Ceiling	Rs. 500 crore of loan outstanding	No limit (assistance to each borrower limited to 40% of total credit outstanding or Rs. 200 crore whichever is lower)

GECL – 4.0 :-

- 100% guarantee cover to loans up to Rs. 2 crore to Hospitals / Nursing Homes/ Clinics/ Medical Colleges having credit facility with banks for setting up low cost technologies like pressure swing absorption etc. for on side oxygen generation.
- The current ceiling of Rs. 500 Cr. of loan outstanding for eligibility under ECLGS 3.0 to be removed, subject to maximum additional ECLGS assistance to each borrower has limited to 40% or Rs. 200 crore, whichever is lower**.**

(ग) Restructuring of Accounts :
Resolution Framework 2.0 :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्कुलर सख्या RBI/2021-22/31 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22& RBI/2021-22/32 DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कोविड–19 के कारण आयी मन्दी से उबरने हेतु उधारकर्ताओं यानी व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं एम.एस.एम.ई. इकाईयों हेतु समस्त बैंकों को निम्न निर्देष जारी किये हैं।

- कोविड–19 के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने उधारकर्ताओं यानी व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों एवं एम.एस.एम.ई. इकाईयों के रु. 25 करोड़ तक के ऋणी ग्राहकों को, जिन्होने पूर्व में मोरेटोरियम अवधि का लाभ प्राप्त नही किया है, वे मोरेटोरियम अवधि के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक बैंको को ऋणों के पुनर्गठन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- पुनर्गठन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यमी को उद्यम रजिस्ट्रेषन पोर्टल पर रजिस्ट्रेषन करना होगा।
- जिन्होने वर्ष 2020 में मोरेटोरियम का विकल्प चुना है, वे मोरेटोरियम अवधि के विस्तार के लिए पात्र होंगे, जिसके तहत उनका षेष कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- Resolution Framework 1.0 & Resolution Framework 2.0 दोनो को मिलाकर मोरेटोरियम अवधि 2 वर्ष होगी।
- मोरेटोरियम अवधि का लाभ पाने के लिए खाता 31 मार्च, 2021 को स्टैन्डर्ड होना चाहिए।
- Restructuring के बाद इन खातों का IRAC Status पूर्ववत ही रहेंगे।

बैंक की Board approved policy के तहत ऋणी द्वारा बैंक को प्रेषित आवेदन पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। एस.एल.बी.सी, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त बैंकों को उक्त विषयक अवगत करा दिया गया है।

सार्वजनिक बैंकों द्वारा रु. 25 करोड़ तक के ऋणों के पुनर्गठन (Restructuring) हेतु बिजनेस ऋण को तीन श्रेणी में बांटा गया है :

- रु. 10 लाख से कम के ऋण के लिए सार्वजनिक बैंक एक मानक पुनर्गठन योजना का पालन करेंगे।
- रु. 10 लाख से रु. 10 करोड़ के बीच के ऋण एक श्रेणीवद्व दृष्टिकोण का पालन करेंगे।
- रु. 10 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए ऋणदाता एक सामान्य आउटरीच कार्यक्रम स्थापित करेंगे एवं एक वर्गीकृत पुनर्गठन दृष्टिकोण का पालन करेंगे।

मानक आवेदन और मूल्यांकन प्रारुप और सरलीकृत प्रलेखन प्रक्रिया होगी। ग्राहक बैंकों के पोर्टल के माध्यम से अथवा स्वंय बैंक षाखाओं में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन के 30 दिनों के अन्दर समाधान योजना लागू की जाएगी एवं आह्वान के बाद योजना को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Restructuring हेतु रु. 25 करोड़ तक की ऋण सीमा को बढ़ाकर रु. 50 करोड कर दिया गया है।

<u>एजेण्डा संख्या</u> – 10 :

<u>शाखाओं के कार्य समय में परिवर्तन</u> :–

भारतीय स्टेट बैंक, कोर्पोरेट केन्द्र, मुम्बई के पत्रांक BRNWM/2020-21/86 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के अनुसार बैंक के सी.बी.एस. सर्वर का भार कम करने हेतु षाखा के कार्य समय में परिवर्तन हेतु अवगत कराया गया है। इसी अनुक्रम में बागेष्वर एवं चम्पावत जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की षाखाओं के कार्य समय (प्रातः 10.00 बजे से सांय 4. 00 बजे के स्थान पर प्रातः 09.00 बजे से सांय 3.00 बजे) में बदलाव हेतु दोनो जिलों के जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार भारतीय स्टेट बैंक की षाखाओं के समय में किय गय परिवर्तन सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते हैं।

<u>एजेण्डा संख्या</u> – 11 :

<u>अटल पेंशन योजना (APY)</u> :

अटल पेंषन योजना (APY) अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति निम्नवत है :

Bank Branches	Targets for F.Y. 2020-21	Progress of F.Y. 2020-21	Progress as on 31.03.2021
No.	No.	No.	No.
2033	118050	75230	281786

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा राज्य में कार्यरत बैंकों को वित्तीय वष 2020–21 हेतु 1,18,050 का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा 75,230 की प्रगति दर्ज की गयी है। PFRDA द्वारा सार्वजनिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रति षाखा 60 तथा निजी बैंकों को प्रति षाखा 30 का वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया गया है।

राज्य स्तरीय बकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त बैंकों को वित्तीय वष 2021–22 हेतु सार्वजनिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रति षाखा 60 तथा निजी बैंकों को प्रति षाखा 30 का वार्षिक लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है।

अटल पेंषन योजना अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंक आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आषा वर्कर्स, ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं अन्य फील्ड वर्कर्स/स्टेकहोलडर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अग्रणी जिला प्रबन्धक DLRC/DCC की बैठक में योजना अंतर्गत बैंकवार प्रगति की समीक्षा करें तथा प्रगति हेत षासन का सहयोग प्राप्त करें।

एजेण्डा संख्या – 12 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।